पत्रांक– 12/वि(प्र)–11/2016(पार्ट)-309

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना।

पटना, दिनांक– 31/05/2022

विषय :– **डी.एल.एड. की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में हुए निर्णय की जानकारी आपको है। तदनुसार राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्राईवेट प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा डी.एल.एड. में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रवेश परीक्षा ऑनलाईन आयोजित की जाएगी। इस हेतु बेल्ट्रॉन, पटना के द्वारा एजेंसी का चयन कर समिति को उपलब्ध कराया जाना है। समय सारणी बनाकर शीघ्र इस कार्य को सम्पन्न किया जाना है।

इस क्रम में अनुरोध है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रेस–विज्ञप्ति एवं अन्य माध्यम से सभी प्रशिक्षण संस्थानों को (जो आपसे संबद्ध है) प्रवेश परीक्षा के संबंध में सूचित करने की कृपा की जाए, ताकि वे समिति के निदेशानुसार प्रेषित सूची के अनुरूप नामांकन का कार्य करेंगे एवं अपने स्तर पर इससे पूर्व नामांकन नहीं करेंगे।

विश्वासभाजन
30/5/22
(विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

574/ECV
2/6/22

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

378

दिनांक–26.05.2022 (गुरूवार) को 4:00 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा एवं STET के आयोजन के संबंध बैठक हुई बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी उपस्थिति थे–

1. श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग
2. श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
3. श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
   –सह–प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना
4. श्री तसनीमुर रहमान, परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
5. डॉ० विनोदानन्द झा, निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए–

1. डी.एल.एड. में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा आनलाइन होगी। इसके लिए एजेन्सी का चुनाव बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा एवं बेल्ट्रॉन शुल्क निर्धारित कर उसकी सेवा डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा एवं अन्य परीक्षा हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध कराएगी।
2. परीक्षा आयोजन के विषयवस्तु, परीक्षार्थी की संख्या, तकनीकी अपेक्षा आदि पर परीक्षा समिति के साथ मिलकर बेल्ट्रॉन समझ विकसित करेगा एवं अपने कार्य हेतु कलेण्डर बनाएगा। उसमें ध्यान रखा जाएगा कि यथा शीघ्र एजेंन्सी का चयन कर प्रवेश परीक्षा का आयोजित किया जाए।
3. प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना के द्वारा परीक्षा समिति के उपर पूर्व परीक्षा के बकाए राशि की जानकारी दी गई। समिति शीघ्र बकाए राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

30.5-22

(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 16/निदेशक–1/2016(अंश) – 307 पटना, दिनांक–.....................

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/5/22

(विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक : अनु0 को0 (मा0)–01/2019 05
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

गिरिवर दयाल सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

परीक्षा नियंत्रक (के0वि0),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 28.08.2019

विषय : माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: बि0वि0प0स0, पटना का पत्रांक–के0वि0–208/2019 दिनांक 10.08.2019.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 406 दिनांक 12.07.2019 द्वारा दिये गये निदेश अनुसार माध्यमिक प्रक्षेत्र अन्तर्गत निर्दिष्ट विषयों के लिए माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देश संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
28/8/19
(गिरिवर दयाल सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

632/ECU
28/8/19

E:\Sec.Edu\Office Letter (SEC.DIRECTOR-R). 847

376

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2019 हेतु दिशा–निर्देश।

दिनांक 10.07.2019 को अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में लिये गये निर्णयानुसार राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 आयोजित की जानी है।

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 आयोजित करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निम्नांकित बिन्दुओं पर निदेश दिया जा रहा है :–

1. **संरचना :–**

(क) पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे।
(ख) प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
(ग) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

2. **परीक्षा के विषय :–**

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 हेतु माध्यमिक (पेपर–I) एवं उच्च माध्यमिक (पेपर–II) के लिए निर्दिष्ट विषय –

माध्यमिक (पेपर–I)	उच्च माध्यमिक (पेपर–II)
1. हिन्दी	1. अंग्रेजी
2. उर्दू	2. गणित
3. संस्कृत	3. भौतिकी
4. अंग्रेजी	4. रसायनशास्त्र
5. गणित	5. प्राणीशास्त्र
6. विज्ञान	6. वनस्पतिशास्त्र
7. सामाजिक विज्ञान	7. कम्पयूटर साईंस

(ख) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण–कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे।

नोट :

1. निर्दिष्ट विषय वस्तु	–	100
2. शिक्षण–कला एवं अन्य दक्षता	–	50
कुल अंक	–	150

3. **अर्हता :–**

(क) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो।

(ख) बिहार नगर निकाय/जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हता धारी अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी हो सकते हैं।

(ग) पेपर–I के तहत निर्धारित विषयों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगो को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

पेपर–II के तहत निर्धारित विषयों में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगो को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(घ) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए संबंधित विषय में नियुक्ति हेतु विषय/विषय समूह अनु0–1 में संधारित है।

(ड़) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में सम्मलित होने वाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक (B.Ed.) योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। परन्तु उच्च माध्यमिक (पेपर–II) के तहत निर्दिष्ट विषय कम्प्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए प्रशैक्षणिक (B.Ed.) योग्यता अनिवार्य नहीं होगा।

(च) विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 01.07.2019 के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमन, 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, तथा बी0एड0 की अर्हता धारित करते हो वैसे अभ्यर्थी पेपर–I के तहत विज्ञान एवं गणित विषय के माध्यमिक शिक्षक पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में सम्मिलित हो सकतें है।

(छ) M.A (Edn.) विषय को बी0एड के समकक्ष नहीं माना जायेगा।

4. <u>उम्र सीमा एवं छूट</u> :–

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 01.08.2019 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी :–

कोटि	अधिकतम आयु सीमा	कोटि	अधिकतम आयु सीमा
सामान्य (पुरूष)	37 वर्ष	अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष
सामान्य (महिला)	40 वर्ष	अनु0जाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष
पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष	अनु0जनजाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष

5. <u>उत्तीर्णांक</u> :–

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा :–

सामान्य	– 50% अंक
अनु0 जाति/अनु0 जनजाति	– 45% अंक
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 45% अंक
दिव्यांग	– 45% अंक

(ख) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिक्ति के विरूद्ध निर्दिष्ट उत्तीर्णता अंक के आधार पर उच्च प्राप्तांक से नीचे प्राप्तांक के क्रम में दो गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जायेगा।

6. **माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जायेगा। परन्तु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी।**

7. <u>प्रमाण पत्र</u> :–

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 के सफल उम्मीदवारों की मेघा सूची विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयवार रिक्ति के दो गुणा तैयार कर तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

8. <u>परीक्षा शुल्क</u> :–

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क निम्नवत् होगा :–

(क) सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)

(i) एक विषय के लिए	– 400/–
(ii) दो विषय के लिए	– 600/–

(ख) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एवं दिव्यांग (पुरूष एवं महिला)

(i) एक विषय के लिए	– 200/–
(ii) दो विषय के लिए	– 300/–

अनु0–1

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 हेतु विषय/विषय समूह

माध्यमिक शिक्षक हेतु :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री एवं बी0एड0 की डिग्री। संस्कृत एवं उर्दू विषयों में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/समिति से प्रदत शास्त्री एवं आलिम की डिग्री को स्नातक के समकक्ष माना जायेगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमन, 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो तथा बी0एड0 की योग्यता धारित करते हों, विज्ञान एवं गणित विषय के माध्यमिक शिक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में सम्मिलित हो सकते है।

उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातकोत्तरं की डिग्री एवं बी0एड0 की डिग्री। कम्प्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी0एड0 की योग्यता अनिवार्य नहीं होगा।

क्रमांक	विषय	माध्यमिक (पेपर–1)	उच्च माध्यमिक (पेपर–2)
1.	हिन्दी	हिन्दी (स्नातक स्तर पर पठित)	–
2.	उर्दू	उर्दू (स्नातक स्तर पर पठित)	–
3.	संस्कृत	संस्कृत (स्नातक स्तर पर पठित)	–
4.	अंग्रेजी	अंग्रेजी (स्नातक स्तर पर पठित)	अंग्रेजी में स्नातकोत्तर
5.	गणित	(क) स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायनशास्त्र विषय पठित (ख) इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो।	गणित में स्नातकोत्तर
6.	विज्ञान	(क) स्नातक स्तर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय पठित (ख) इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।	
7.	सामाजिक विज्ञान	स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।	

Scanned by CamScanner

372

8.	भौतिकी	—	भौतिकी में स्नातकोत्तर
9.	रसायनशास्त्र	—	रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर
10.	प्राणीशास्त्र	—	प्राणीशास्त्र में स्नातकोत्तर
11.	वनस्पतिशास्त्र	—	वनस्पतिशास्त्र में स्नातकोत्तर
12.	कम्प्यूटर साइंस	—	'A' level from DOEACC and Post Graduate Degree in any subject. OR BE or B.Tech (Computer Science/IT) from a recognized University or an equivalent Degree or Diploma from an Institution/University recognized by the Govt. of India. OR BE or B.Tech (Any stream) and Post Graduate Diploma in Computers form any recognized University. OR M.Sc. (Computer Science)/MCA or Equivalent form a recognized University. OR B.Sc. (Computer Science)/BCA or Equivalent and Post Graduate Degree in any subject form a recognized University. OR Post Graduate Diploma in Computer and Post Graduate Degree in any subject from a recognized University. OR 'B' Level from DOEACC and Post graduate degree in any subject. OR 'C' Level from 'DOEACC' Ministry of Information and Communication Technology and Graduation. OR MCA three years course (6 semester).

Scanned by CamScanner

पत्रांक : 09/STET-01/2021 743

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

मनोज कुमार (भा०प्र०से०)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 16-12-2022

विषय : **माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका तथा समिति द्वारा प्रस्तावित परीक्षा शुल्क पर विभागीय सहमति देने के संबंध में।**

प्रसंग: विभागीय पत्रांक–513 दिनांक 17.08.2022 एवं समिति का पत्रांक–के0वि0–340 दिनांक 14.10.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 513 दिनांक 17.08.2022 द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 के आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका में संशोधन कर संशोधित मार्गदर्शिका संलग्न है।

2. समिति के पत्रांक–के0वि0–340 दिनांक 14.10.2022 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 हेतु प्रस्तावित परीक्षा शुल्क पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय सहमति दी जाती है।

3. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(मनोज कुमार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/STET-01/2021–743 पटना, दिनांक 16-12-2022

प्रतिलिपि : परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

370

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2022 हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines)।

संरचना :

(क) पात्रता परीक्षा के प्रश्न वहुविकल्पीय होंगे।

(ख) प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

(ग) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा का विषय :

पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के तहत वाणिज्य संकाय के विषय यथा, बिजनेस स्टडीज, एकाउन्टेंसी एवं इन्टरप्रेन्योरशिप ।

पाठ्यक्रम :

पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तरीय पाठ्यक्रम।

प्रश्नपत्र पैटर्न :

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे :–

निर्दिष्ट विषय वस्तु	–	100
शिक्षण कला, अन्य दक्षता	–	50
कुल अंक	–	150

अर्हता :

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।

(ख) बिहार नगर निकाय/जिला परिषद माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हता धारी अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।

E:\Sec.Edu\S.T.E.T, 2022 (Guidelines) (Sansodhit). 5

(ग) पेपर–II के तहत वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर की डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग एवं महिला को न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(घ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि तक प्रशैक्षणिक (बी.एड.) की योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।

उम्र सीमा एवं छूट :

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 01.08.2022 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–294 दिनांक 07.11.2016 द्वारा किये गये प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी :–

क्रमांक	कोटि	अधिकतम आयु सीमा
1	अनारक्षित (पुरूष)	37 वर्ष
2	अनारक्षित (महिला)	40 वर्ष
3	पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष
4	अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष
5	अनु0जाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष
6	अनु0जनजाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962 दिनांक 22.01.2021 में किये गये प्रावधानानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–5374 दिनांक 02.04.2013 में किये गये प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

368

उत्तीर्णांक :

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा :–

सामान्य	–	50% अंक
पिछड़ा वर्ग	–	45.5% अंक
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	42.5% अंक
अनु0जाति/अनु0जनजाति	–	40% अंक
दिव्यांग	–	40% अंक
महिला	–	40% अंक

प्रमाण पत्र :

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 में पेपर–II में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उतीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ख) विभागीय आदेश ज्ञापांक–11/वि1–34/2009–893 दिनांक 22.06.2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवनपर्यन्त (Lifetime) होगी।

परीक्षा शुल्क :

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। समिति परीक्षा शुल्क निर्धारण में आरक्षित वर्गों/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट देगी।

367

पत्रांक : 09 / STET –01 / 2022 522
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव (भा०प्र०से०)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 31.07.23

विषय : माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2023 के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: बि०वि०प०स०, पटना का पत्रांक–के०वि०–420 / 2022 दिनांक 15.12.2022.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त अनुरोध के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines) अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2. मार्गदर्शिका प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/7/23

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

366

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2023 हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines)।

संरचना :

(क) पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
(ख) प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
(ग) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा का विषय :

माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) के तहत आने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले सभी विषय।

पाठ्यक्रम :

पेपर–I (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तरीय पाठ्यक्रम।

प्रश्नपत्र पैटर्न :

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे :–

निर्दिष्ट विषय वस्तु	–	100
शिक्षण कला, अन्य दक्षता	–	50
कुल अंक	–	150

अर्हता :

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/ अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।

(ग) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा (i) अधि0 सं0–916 दिनांक 19.05.2023, (ii) अधि0 सं0–934 दिनांक 25.05.2023, (iii) अधि0 सं0–956 दिनांक 29.05.2023, (iv) अधि0 सं0–957 दिनांक 29.05.2023, (v) अधि0 सं0–964 दिनांक 29.05.2023, (vi) अधि0 सं0–965 दिनांक 29.05.2023, (vii) अधि0 सं0–969 दिनांक 30.05.2023, (viii) अधि0 सं0–1010 दिनांक 08.06. 2023 एवं (ix) अधि0 सं0–1154 दिनांक 21.06.2023 के अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) एवं पेपर–II (उच्च माध्यमिक) अन्तर्गत निर्धारित विषय/विषय समूह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 के अनुरूप होगी।

(घ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

<u>उम्र सीमा एवं छूट</u> :

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 01.08.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962 दिनांक 22.01.2021 में किये गये प्रावधानानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–5374 दिनांक 02.04.2013 में किये गये प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

364

(घ) सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 (अद्यतन यथा संशोधित) में किये गये प्रावधान के आलोक में देय होगी।

उत्तीर्णांक :

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा :–

सामान्य	–	50% अंक
पिछड़ा वर्ग	–	45.5% अंक
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	42.5% अंक
अनु0जाति / अनु0जनजाति	–	40% अंक
दिव्यांग	–	40% अंक
महिला	–	40% अंक

प्रमाण पत्र :

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 में पेपर–I एवं पेपर–II में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ख) विभागीय आदेश ज्ञापांक–11 / वि1–34 / 2009–893 दिनांक 22.06.2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2022 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवनपर्यन्त (Lifetime) होगी।

परीक्षा शुल्क :

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। समिति परीक्षा शुल्क निर्धारण में आरक्षित वर्गों / दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट देगी।

परिशिष्ट–1

पेपर–I (माध्यमिक)

क्र०	विषय/विषय समूह	शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक अर्हता
1.	सामान्य विषय	विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/ स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0)। अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।
2.	शारीरिक शिक्षा	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। अथवा 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। अथवा

		प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक / कोच) – 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। अथवा 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अथवा एक बैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद / खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो। अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद / खेलों / ऐथलेटिक्स में राज्य / विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर–कॉलेजिएट खेलकूद / खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो / एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य।

3.	संगीत विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
4.	ललितकला विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	नृत्य विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
6.	विशेष विद्यालय अध्यापक	(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक – उपाधि एवं (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी0एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी0आर0आर0 नं0 धारित हो या बी0एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी0एड0 के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी0आर0आर0 नं0 धारित हो। एवं (ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। परन्तुकः–भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

(ii) <u>विषय समूह :-</u>

(क) <u>गणित</u> :- स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रोनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस में बी0सी0ए0 की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ख) <u>विज्ञान</u> :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(ग) <u>सामाजिक विज्ञान</u> :- स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।

(घ) <u>भाषा से संबंधित विषय</u> :- माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है।

<u>स्पष्टीकरण</u> : शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3549

परिशिष्ट–2

पेपर–II (उच्च माध्यमिक)

क्र०	विषय/विषय समूह	शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक अर्हता
1.	सामान्य विषय	विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर(अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड०। अथवा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी0एड0–एम0एड0।
2.	वाणिज्य	वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीन विषयों यथा, EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेगें। तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।

358

3.	कम्प्यूटर साईंस	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए0आइ0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0ई0 या बी0टेक0 (कम्प्यूटर साइंस / आई0टी0) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए0आइ0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी0ई0 या बी0टेक0 की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर / एम0सी0ए0 या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। अथवा "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक / बी0 सी0 ए0 या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर" अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'सी' तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अथवा एम0सी0ए0 का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)। नोटः— कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी0एड0 की योग्यता अनिवार्य नहीं है।
4.	कृषि	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि / उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/ Entomology/ Plant Pathology/ Seed Science & Technology/ Soil Science/ Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर

		अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। नोटः— मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	संगीत विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) विषय समूह : —

Subject	Subjects at Post Graduate Level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.Com in applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/Zoology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/Micro Biology/ Biotechnology/Molecular Biology/Plant Physiology.
Math	Mathemetics/Applied Mathemetics

स्पष्टीकरण : शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

पत्रांक :– 7/विविध–186/2023...1781

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक–..10/10/23

विषयः– **बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET) 2023 के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–23.09.2023 को आहूत बैठक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET) 2023 के आयोजन का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET) 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका अग्रेतर कार्रवाई संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/10/2023

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
प्रेषण शाखा
पटना-17

A02/EW
14/10/2023

G:computer1-g.s.-PAGE-1900

355

बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines)।

1. **पृष्ठभूमि :**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका (सिविल) सं0–132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक–28.10.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र सं0–F.No.3–5/2021–IS 18 दिनांक–10.06.2022 द्वारा सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र– छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान कराने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 10:1 एवं मध्य विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात 15:1 निर्धारित की गई है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में क्रमशः कक्षा–1 से 5 तक एवं कक्षा–6 से 8 तक अध्ययनरत विभिन्न दिव्यांग छात्र–छात्राओं का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें 9 कोटि के दिव्यांग छात्र–छात्राओं को चिन्हित करते हुए निर्धारित शिक्षक छात्र के अनुपात के आलोक में कक्षा–1 से 5 के लिए 5534 एवं कक्षा–6 से 8 के लिए 1745 विशेष विद्यालय अध्यापक का पद सृजित किया गया है। इन पदों पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना निर्धारित है।

विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए केन्द्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन सी0बी0एस0ई0 द्वारा नहीं किया जाता है जबकि सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 2 बार केन्द्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। फलतः वर्ग–1 से 5 एवं वर्ग–6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने हेतु यह मार्गनिर्देशिका तैयार किया जा रहा है। इस मार्गनिर्देश के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना के तत्वाधान में किया जायेगा। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता मापदंड है।

2. **परीक्षा के विषय :**

बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 में दो पत्र होंगे :–

(क) प्रथम पत्र वर्ग– 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए।

(ख) द्वितीय पत्र वर्ग– 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए।

(ग) प्रथम एवं द्वितीय पत्र– वैसे व्यक्ति जो वर्ग–1 से 8 तक के दोनो स्तर में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हों उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

प्रथम पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंकः–

क्र0 सं0	विषय	कुल प्रश्न	कुल अंक	परीक्षा अवधि
(i)	बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ	30 प्रश्न	30 अंक	150 मिनट
(ii)	भाषा I , अनिवार्य (हिन्दी / उर्दू / बांग्ला में से कोई एक)	30 प्रश्न	30 अंक	
(iii)	भाषा II , अनिवार्य (अंग्रेजी)	30 प्रश्न	30 अंक	
(iv)	गणित	30 प्रश्न	30 अंक	
(v)	पर्यावरण अध्ययन	30 प्रश्न	30 अंक	
	कुल	**150**	**150**	

द्वितीय पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंकः–

क्र0 सं0	विषय	कुल प्रश्न	कुल अंक	परीक्षा अवधि
(i)	बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ	30 प्रश्न	30 अंक	150 मिनट
(ii)	भाषा I, अनिवार्य (हिन्दी / उर्दू / बांग्ला में से कोई एक)	30 प्रश्न	30 अंक	
(iii)	भाषा II, अनिवार्य (अंग्रेजी / हिन्दी / उर्दू / बांग्ला / संस्कृत) भाषा I में चुने गये विषय को छोड़कर उपर्युक्त में से कोई एक	30 प्रश्न	30 अंक	
(iv)	गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान	60 प्रश्न	60 अंक	
	कुल	**150**	**150**	

353

प्रथम पत्र के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा–1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में आधार पर होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर (Level of Difficulty) एवं लगाव (Linkage) माध्यमिक स्तर का हो सकता है। इसी प्रकार द्वितीय पत्र के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लगाव उच्चत्तर माध्यमिक स्तर का हो सकता है।

3. **परीक्षा का पैटर्न :–**

(क) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Mulptipull Choice Questions) होंगे।

(ख) प्रत्येक पत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

(ग) प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा।

(घ) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(ड0)परीक्षा की अवधि 150 मिनट अर्थात 2:30 घंटा की होगी।

4. **उत्तीर्णांक :**

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा :–

सामान्य	–	50% अंक
पिछड़ा वर्ग	–	45.5% अंक
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	42.5% अंक
अनु0जाति / अनु0जनजाति	–	40% अंक
दिव्यांग	–	40% अंक
महिला	–	40% अंक

5. पाठ्यक्रम :

पत्र–1

कक्षा I-V तक के पाठ्यक्रम

बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र

बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न

विषय–वस्तु– 10 प्रश्न

- विकास की अवधारण (Concept of Development) एवं अधिगम से उसका संबंध
- बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएँ (6–11 वर्ष)
- आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव
- सामाजिकरण की प्रक्रिया
- पियाजे एवं वाइगास्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा
- बहुआयामी बुद्धि (Multidimensional Intelligence)

- सृजनात्मकता
- भाषा एवं विचार (Language and Thought)
- वैयक्तिक विभिन्नता
- सतत् व्यापक मूल्यांकन

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षणः– 10 प्रश्न

- दिव्यांगता का प्रकार, समावेशी रणनीतियां, वर्ग कक्ष प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन (Assessment) एवं मूल्यांकन (Evluation)
- प्रतिभाशाली बच्चे

अधिगम एवं शिक्षा शास्त्रः– 10 प्रश्न

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते है?
- बच्चे विद्यालयी उपलब्धी में क्यों और कैसे असफल होते है?
- शिक्षण–अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ
- सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे?
- बच्चा समस्या समाधान कर्त्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है।
- वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा।
- संज्ञान और संवेग (Cognition and Emotion)
- अभिप्रेरण और सीखना (Motivation and Learning)

भाषा–I 30 प्रश्न

विषय–वस्तु 15 प्रश्न

- भाषायी समझ एवं निष्कर्ष–अपठित उद्धरण (Unseen Passage)-गद्यांश, पद्यांश, यात्रा–वृतांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ (गद्यांश–साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक या अप्रासंगिक पहलू से हो सकते हैं।)
- व्याकरण–शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम पर्यावाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द–युग्म इत्यादि व्यवहारिक व्याकरण।

शिक्षा शास्त्री आयाम 15 प्रश्न

- भाषा शिक्षण के सिद्वांत एवं विधियाँ
- भाषा कौशल
- भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन
- सम्प्रेषण कौशल का विकास
- व्यवहारिक व्याकरण की समझ
- भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाईयों/विसंगतियों का निराकरण
- शिक्षण–उपादान
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)

भाषा–II 30 प्रश्न

351

(क) भाषा की समझ — 15 प्रश्न

अपठित गद्यांश (Prose) के उद्धरण (Unless Passage) पर आधरित प्रश्नों की समक्ष। अपठित गद्यांश (Prose), अप्रासंगिक, साहित्यक, विवरणात्मक या वैज्ञानिक (Discursive, Literary, Narrative or Scientific) हो सकते हैं। व्यवहारिक व्याकरण यथा शब्दार्थ, संज्ञा (Noun), सर्वनाम (Pronoun), विशेषण (Adjective), लिंग (Gender), वचन (Number), कारक (case), काल (Tense), विलोम (Opposite), पर्यायवाची, मुहावरे (Phrase) और शब्द–युग्म आदि की समझ एवं शाब्दिक योग्यता (Verbal Ability)

(ख) शिक्षा शास्त्रीय आयाम — 15 प्रश्न

- भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ
- भाषा कौशल (Language Skill)
- भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन
- सम्प्रेषण कौशल का विकास
- भाषा–अधिगम में व्याकरण की भूमिका–सम्प्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन कौशल के संदर्भ में
- विविभन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ
- व्यवहारिक व्याकरण की समझ
- भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाईयों/विसंगतियों का निराकरण
- शिक्षण अधिगम सामगी–पुस्तक, मल्टी मिडिया समाग्री, द्विभाषीय सामग्री
- उपचाररात्मक शिक्षण

गणित — 30 प्रश्न

विषय–वस्तु — 15 प्रश्न

- ज्यामिति–आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ
- संख्याएँ–संख्याएँ एवं संक्रियाएँ
- मुद्रा–मुद्रा से संबिंधित समस्याओं का हल
- माप–लम्बाई (Length), मात्रा (Mass) भार (Weight), आयतन (Volume) ,समय (Time)
- आंकड़ो का खेल
- मानसिक गणित (Mental Math)
- ढाँचा (Pattern)

शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे– — 15 प्रश्न

- गणित की प्रकृति एवं स्वरूप
- गणित शिक्षण का महत्व
- गणित शिक्षण की विधियाँ
- गणित की भाषा
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान

- गणित शिक्षण की समस्याएँ
- निदानात्मक एवं उपचारत्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन
- त्रुटियों का विश्लेषण
- शिक्षण–अधिगम से संबंधित आयाम

पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न

विषय–वस्तु 15 प्रश्न

- परिवार और मित्र (Family and Friends)–रिश्ते–नाते, जन्तु, पौधे, कार्य और खेल।
- भोजन (Food)–पौधे और जन्तुओ से प्राप्त भोजन, पशु आहार, भोजन पकाना, परिवार में भोजन करना, ज़न्तुओं के आहार।
- आवास (Shelter)-आवास और उसके प्रकार, आस–पड़ोस और इसका मानचित्रण, गृह–सज्जा और सफाई, अपना परिवार और घरेलू जीव–जन्तु
- जल (Water)-जल के श्रोत, परिवार के लिए जल, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता
- यात्रा–गंतव्य स्थान (स्थान, जल, अंतरिक्ष), यात्रा के साधन, सांकेतिक–सम्प्रेषण, पत्र–सम्पेषण
- वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार–मिट्टी से बनने वाली वस्तुएँ।
- वस्त्र

शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे– 15 प्रश्न

- पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप
- पर्यावरण अध्ययन का महत्व
- पर्यावरण के बारे में शिक्षा
- पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा
- पर्यावरण के समवर्द्धन–संरक्षण के लिए शिक्षा
- पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध
- सीखने के तरीके
- गतिविधियाँ/व्यवहारिक कार्य
- सतत व्यापक मूल्यांकन
- शिक्षण–उपादान
- समस्याएँ

349

पत्र– II

कक्षा VI-VIII तक के पाठ्यक्रम

बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न

विषय–वस्तु

(क) बाल विकास 10 प्रश्न

- विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध
- बलविकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएँ (12–16 वर्ष)
- आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव
- समाजिकरण की प्रक्रिया
- पियाजे एवं वाइगास्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य
- बल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा
- बहुआयामी बुद्धि (Multidimensional Intelligence)
- सृजनात्मकता (Creativity)
- भाषा एवं विचार (Language and Thought)
- वैयक्तिक विभिन्नता (Individual Differences)
- सतत् व्यापक मूल्यांकन (Continusous and Comprehensive Evaluation)

(ख) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण – 10 प्रश्न

- दिव्यांगता का प्रकार, समावेशी रणनीतियां, वर्ग कक्ष प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन (Assessment) एवं मूल्यांकन (Evluation)
- प्रतिभाशाली बच्चे।

(ग) अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र – 10 प्रश्न

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं?
- बच्चे विद्यालयी उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं?
- शिक्षण–अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ
- सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे?

- बच्चा समस्या समाधान कर्त्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है।
- वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा।
- संज्ञान और संवेग (Cognition and Emotion)
- अभिप्रेरण और सीखना (Motivation and Learning)

भाषा – I **30 प्रश्न**

(क) भाषा की समझ **15 प्रश्न**

- भाषायी समझ एवं निष्कर्ष – अपठित उद्धरण (Unseen Pasage) – गद्यांश, पद्यांश, यात्रा–वृत्तांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों
 की समझ (गद्यांश, साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक या अप्रासंगिक पहलू से ही सकते हैं।)
- व्याकरण– शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यावाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द–युग्म इत्यादि
 व्यवहारिक व्याकरण।

(ख) शिक्षा शास्त्रीय आयाम **15 प्रश्न**

- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त एवं विधियाँ
- भाषा कौशल
- भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मल्यांकन
- सम्प्रेषण कौशल का विकास
- व्यवहारिक व्याकरण की समझ
- भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाईयों/विसंगतियों का निराकरण
- शिक्षण–उपादान
- उपचारात्मक शिक्षण

भाषा – II **30 प्रश्न**

(क) भाषा की समझ **15 प्रश्न**

अपठित गद्यांश (Prose) के उद्धरण (Unseen Passage) पर आधारित प्रश्नों की समझ। अपठित गद्यांश (Prose), अप्रासंगिक, साहित्यक, विवरणात्मक या वैज्ञानिाक (Discurisve,

347

Literary, Narrative or Scientific) हो सकते हैं। व्यवहारिक व्याकरण यथा शब्दार्थ, संज्ञा सर्वनाम (Pronoun) विशेषण (Adjective), लिंग (Gender), वचन (Number), कारक (Case), काल (Tense), विलोम (Opposite), पर्यायवाची, मुहावरे (Phrase) और शब्द—युग्म आदि की समझ एवं शाब्दिक योग्यता (Verbal ability)

(ख) शिक्षा शास्त्रीय आयाम **15 प्रश्न**

- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त एवं विधियाँ
- भाषा कौशल (Language Skill)
- भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मल्यांकन
- सम्प्रेषण कौशल का विकास
- भाषा— अधिगम में व्याकरण की भूमिका—सम्प्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन कौशल के संदर्भ में।
- विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ
- व्यवहारिक व्याकरण की समझ
- भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाईयों/विसंगतियों का निराकरण
- शिक्षण अधिगम सामग्री – पुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, द्विभाषीय सामग्री
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)

<u>गणित और विज्ञान</u> **60 प्रश्न**

- गणित **30 प्रश्न**

(क) विषय—वस्तु **20 प्रश्न**

संख्या पद्धति – (Number System)

- संख्या की समझ (Concept of Number)
- पूर्णांक (Whole Number)
- परिमेय संख्या (Rational Number)
- घतांक (Indiices)
- ऋणात्मक संख्या (Negative Number)
- भिन्न (Fractions)
- वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल (Square, Square root, Cube, Cube root)

- संख्याओं का खेल
- द्विधारी संख्याएँ (Bibary Number)

बीजगणित (Algebraa)

- बीजीय व्यंजक
- बीजगणितीय व्यंजक

अंक गणित (Arithmatic)

- अनुपात – समानुपात (Ratio and Proportion)
- ऐकिक नियम (Unitary Method)
- शब्द समस्याएँ (Word Problems)
- प्रतिशत (Percentage)
- लाभ एवं हानि (Profit and Loss)
- साधारण व्याज (Simple Interest)
- समय एवं दूरी (Time & Distance)
- समय एवं काम (Time & Work) से संबंधित व्यवहारिक गणित

ज्यामिति (Geometry)

- ज्यामितीय आकृकियों की समझ (Concept of geometrical shape and size)
- द्विविमीय (2-D)
- त्रिविमीय (3-D)
- सममिति (Symmetry)

क्षेत्रमिति (Mensuration)

- परिमिति एवं क्षेत्रफल की अवधारणा (Concept of perimeter and Area)

आँकड़ों का प्रयोग

- आँकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना

(ख) शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे **10 प्रश्न**

- गणित की प्रकृति
- पाठ्यक्रम में गणित का स्थान
- गणित शिक्षण की विधियाँ
- गणित की भाषा (Language of Mathematics)

345

- सामुदायिक गणित (Community Mathematics)
- मूल्यांकन (Evaluation)
- उपचारात्मक शिक्षण
- गणित शिक्षण की समस्याएँ

विज्ञान **30 प्रश्न**

(क) विषय–वस्तु **20 प्रश्न**

भोजन	–	भोजन के स्त्रोत, के अवयव, स्वास्थय और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग
पदार्थ / वस्तुएँ	–	दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, गर्मी देने वाली वस्तुएँ
सजीव का संसार	–	आस–पास की वस्तुएँ, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जन्तुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेष का प्रभाव, जीवों में श्वसन, जैव विविधताओं का संरक्षण, कोशिका, जीवन की निरंतरता
गतिमान वस्तुएँ	–	लोग एवं विचार, बल, घर्षण, ध्वनि,
वस्तुएँ कैसे कार्य करती है।	–	चुम्बक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ
प्राकृतिक परिघटनाएँ	–	वर्षा, बादल, गर्जन, तड़ित, प्रकाश, भूकम्प
प्राकृतिक संसाधन	–	जल और वायु का महत्व, कचड़ा–प्रबन्धन, वन–उत्पाद, वायु– प्रदूषण, जल प्रदूषण

(ख) शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे – **10 प्रश्न**

- विज्ञान की प्रकृति और संरचना
- विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य
- विज्ञान की समझ
- विज्ञान शिक्षण की विधियाँ – अवलोकन (Observation)
  – प्रयोग (Experiment)
  – खोज (Discovery)
- नवाचार (Innovation)
- शिक्षण–अधिगम–सामग्री
- शिक्षण की समस्याएँ

- उपचारात्मक शिक्षण

समाज विज्ञान का पाठ्यक्रम

60 प्रश्न

40 प्रश्न

विषय – वस्तु

इतिहास

- हमारा अतीत –
- क्या, कब, कहाँ और कैसे –

  प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत
  अध्ययन काल का निर्धारण
  इतिहास लेखन के स्त्रोत
  प्रारंभिक समाज
  कृषक, पशुपालक, नगरीकरण, जीवन के विभिन्न आयाम
  प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य (सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन)

- सिंधु घाटी सभ्यता
- वैदिक काल
- महाजनपद
- बौधधर्म एवं जैनधर्म
- मौर्य, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल
- दिल्ली सल्तनत
- मुगल साम्राज्य एवं अफगान
- शहर, व्यापार और कारीगर
- समाजिक संस्कृति का विकास
- अठारहवीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएँ
- हमारे इतिहासकार

  प्रो० सैयद हसन असकरी
  सर यदुनाथ सरकार,
  प्रो० काली किंकर दत्त

- भारत में कम्पनी शासन की स्थापना
- उप निवेशवाद
- जन जातीय समाज
- 1857 का विद्रोह

343

- ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा
- महिलाओं की स्थिति एवं सुधार
- राष्ट्रीय आन्दोलन 1885 से 1947 तक
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत

भूगोल

- सौरमंडल
- वायुमंडल
- जलमंडल
- पृथ्वी और उसकी गतियाँ, ग्लोब और मानचित्र
- पृथ्वी की आंतरिक संरचना
- पर्यावरण —भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण—अंतः क्रिया विभिन्न ऋतुएँ
- प्राकृतिक संसाधन —भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जल, वन्य जीव
- मानव संसाधन
- कृषि
- उद्योग —लौह–इस्पात उद्योग, वस्त्र–उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- हमारा राज्य बिहार

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन

- विविधता की समझ
- जीवन यापन के स्वरूप
- संविधान
- राज्य सरकार एवं कानून
- स्थानीय सरकार
- लोकतंत्र में समानता
- संसदीय सरकार
- न्यायिक व्यवस्था
- लैंगिक पूर्वाग्रह

- मीडिया एवं विज्ञापन
- हमारे आस पास के बाजार
- आर्थिक उत्थान में सरकार के प्रयास

अर्थशास्त्र

- जीविका के साधन
- व्यवसायिक क्रिया
- मुद्रा एवं विनियम
- जनसंख्या वृद्धि – बिहार के संदर्भ में
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- खाद्यान एवं व्यवसायिक फसलें
- सहकारिता
- बाजार
- आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य

(ख) शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे **20 प्रश्न**

- समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा
- वर्ग–कक्ष में चलने वाली प्रक्रियाएँ
- तार्किक चिन्तन का विकास
- शिक्षण विधि
- प्रोजेक्ट वर्क
- समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएँ
- मूल्यांक

6. **अनिवार्य अर्हता :**

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हताधारी उम्मीदवार बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा–2023 के आवदेक हो सकते हैं।

(ग) आयु सीमा :–

(i) बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा–2023 अन्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट–ऑफ तिथि 01.08.2023 होगी।

(ii) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा–2023 अन्तर्गत वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कट–ऑफ तिथि 01.08.2023 को आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

(iii) अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष, महिला)–42 वर्ष है।

(iv) पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत वैसे शिक्षक, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्रावधानों के तहत विशेष विद्यालय अध्यापक की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता रखते हों, के लिए अधिकतम आयु शिथिल रहेगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962 दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगजनों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–5374 दिनांक 02.04.2013 के आलोक में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

7. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :–

(i) वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :–

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा

में डी0ईएल0एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध CRR No- धारित करता हो।

वर्ग–1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूलहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय–पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इण्टरमिडिएट (50 अंको) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता परीक्षा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।

वर्ग–1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु इण्टरमीडिएट में 50 अंको के बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते है बशर्ते वे पात्रता परीक्षा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हो।

या

भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी0ईएल0 एड0 सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डी0ईएल0 एड0 के समकक्ष हो, के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध CRR No- धारित करता हो।

(ख) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में छह माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

(ii) वर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :–

3. (क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी0 एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध CRR No- धारित करता हो।

या

बी0 एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में बी0 एड0 के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध CRR No- धारित करता हो।

(ख) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में छह माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

नोट :– 1. (i) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमिडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।

339

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नोट :– 2. वर्ग–6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु भाषा विशेष (संस्कृत, हिन्दी, बांग्ला, अंग्रेजी एवं उर्दू) के आवेदक द्वारा स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा/अनुसांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हों। वर्ग–6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय अन्तर्गत स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान में से कोई दो विषय पठित हो।

वर्ग–6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान में से कोई दो विषय पठित हों।

नोटः– 3. भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा–2023 के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने में सफल होने के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

नोट :–4. बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा–2023 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

नोट :–5. इस मार्गदर्शिका में वर्णित कोई प्रावधान भारतीय पुनर्वास परिषद् के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जायेगा।

8. **प्रमाण पत्र** :

(क) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में पेपर–I एवं पेपर–II में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र BSEB द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवनपर्यन्त (Lifetime) होगी।

9. परीक्षा शुल्क :

बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। समिति परीक्षा शुल्क निर्धारण में आरक्षित वर्गों/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट देगी

337

पत्रांक : 09/मा0शि0पा0प0—04/2023 894

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव (भा0प्र0से0)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 06.12.23

विषय : **माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2024 के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पत्रांक—के0वि0—754 दिनांक 23.11.2023 एवं के0वि0—777 दिनांक 04.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त अनुरोध के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines) अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2. मार्गदर्शिका प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/12/23

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

D:G.S:/Sec-(09): Letter work: 880

336

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2024 हेतु मार्गदर्शिका (Guidelines)।

संरचना :

(क) पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
(ख) प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
(ग) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा का विषय :

माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय।

पाठ्यक्रम :

पेपर–I (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तरीय पाठ्यक्रम।

प्रश्नपत्र पैटर्न :

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे :–

निर्दिष्ट विषय वस्तु	–	100
शिक्षण कला, अन्य दक्षता	–	50
कुल अंक	–	150

अर्हता :

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/ अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।

(ग) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा (i) अधि0 सं0–916 दिनांक 19.05.2023, (ii) अधि0 सं0–934 दिनांक 25.05.2023, (iii) अधि0 सं0–956 दिनांक 29.05.2023, (iv) अधि0 सं0–957 दिनांक 29.05.2023, (v) अधि0 सं0–964 दिनांक 29.05.2023, (vi) अधि0 सं0–965 दिनांक 29.05.2023, (vii) अधि0 सं0–969 दिनांक 30.05.2023, (viii) अधि0 सं0–1010 दिनांक 08.06.2023 एवं (ix) अधि0 सं0–1154 दिनांक 21.06.2023 के अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) एवं पेपर–II (उच्च माध्यमिक) अन्तर्गत निर्धारित विषय/विषय समूह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 के अनुरूप होगी।

(घ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

<u>उम्र सीमा एवं छूट</u> :

(क) जिस वर्ष में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उस वर्ष 1ली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 (इक्कीस) वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–294 दिनांक 07.11.2016 में किये गये प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी :–

क्र0	कोटि	परीक्षा वर्ष की 1ली अगस्त को अधिकतम आयु सीमा
1	अनारक्षित (पुरूष)	37 वर्ष
2	अनारक्षित (महिला)	40 वर्ष
3	पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष
4	अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष
5	अनु0 जाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष
6	अनु0 जनजाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962 दिनांक 22.01.2021 में किये गये प्रावधानानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–5374 दिनांक 02.04.2013 में किये गये प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ड़) माध्यमकि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023 में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देय नहीं होगी।

<u>उत्तीर्णांक</u> :

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा:–

सामान्य	–	50% अंक
पिछड़ा वर्ग	–	45.5% अंक
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	42.5% अंक
अनु0जाति/अनु0जनजाति	–	40% अंक
दिव्यांग	–	40% अंक
महिला	–	40% अंक

प्रमाण पत्र :

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर–I एवं पेपर–II में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ख) विभागीय आदेश ज्ञापांक–11/वि1–34/2009–893 दिनांक 22.06.2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवनपर्यन्त (Lifetime) होगी।

परीक्षा शुल्क :

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। समिति परीक्षा शुल्क निर्धारण में आरक्षित वर्गों/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट देगी।

परिशिष्ट–1

पेपर–I (माध्यमिक)

क्र०	विषय/विषय समूह	शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक अर्हता
1.	सामान्य विषय	विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/ स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0)। अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।
2.	शारीरिक शिक्षा	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। अथवा 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। अथवा

		प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक / कोच) – 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। अथवा 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद / खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन0सी0सी0 ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो। अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद / खेलों / ऐथलेटिक्स में राज्य / विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर–कॉलेजिएट खेलकूद / खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो / एन0सी0सी0 ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोंचिग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) अथवा इसके समतुल्य।

3.	संगीत विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
4.	ललितकला विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	नृत्य विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
6.	विशेष विद्यालय अध्यापक	(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक – उपाधि एवं (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी0एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी0आर0आर0 नं0 धारित हो या बी0एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी0एड0 के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी0आर0आर0 नं0 धारित हो। एवं (ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। परन्तुकः–भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

329

(ii) विषय समूह :–

(क) गणित :– स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रोनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस में बी0सी0ए0 की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ख) विज्ञान :– स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(ग) सामाजिक विज्ञान :– स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।

(घ) भाषा से संबंधित विषय :– माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (ऑनर्स)/अनुषांगिक (सब्सीडियरी) विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण :

1. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

2. पेपर–I के तहत संगीत, नृत्य एवं ललितकला विषय के लिए अलग–अलग परीक्षा ली जाएगी।

3. शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर–I के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हत्ता का निर्धारण मार्गदर्शिका के परिशिष्ट–1 के कंडिका–2 में किया गया है।

परिशिष्ट–2

पेपर–II (उच्च माध्यमिक)

क्र०	विषय / विषय समूह	शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता
1.	सामान्य विषय	विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर(अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड०। अथवा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी0एड0–एम0एड0।
2.	वाणिज्य	वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उतीर्ण। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीन विषयों यथा, EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेगे। तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।

327

3.	कम्प्यूटर साईंस	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0ई0 (कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) या बी0टेक (कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए0आइ0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी0ई0 या बी0टेक0 की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर/ एम0सी0ए0 या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। अथवा "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी0 सी0 ए0 या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर" अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी0ओ0इ0ए0सी0सी0 से स्तर 'सी' तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अथवा एम0सी0ए0 का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)। नोटः– कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी0एड0 की योग्यता अनिवार्य नहीं है।
4.	कृषि	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/ उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/ Entomology/ Plant Pathology/ Seed Science & Technology/

		Soil Science/ Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। नोटः— मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	संगीत विषय	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) विषय समूह : –

Subject	Subjects at Post Graduate Level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.Com in applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/Zoology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/Micro Biology/ Biotechnology/Molecular Biology/Plant Physiology.
Math	Mathemetics/Applied Mathemetics

स्पष्टीकरण :

1. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

2. राज्य के विद्यालयों में Multi Media & web Technology विषय की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए पेपर–II के तहत Multi Media & web Technology की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।

3. वाणिज्य संकाय के लिए पेपर–II के अन्तर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी।